



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
शैक्षणिक अनुभाग द्वितीय

प्राचार्य,
टैगोर पी.जी. गर्ल्स कॉलेज,
नेशनल हैण्डलूम के सामने,
वैशाखी नगर, जयपुर।
Email: tagoregirlscollege@yahoo.com

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2019 29666

दिनांक : 10/10/19

विषय:- व्याख्याता अनुमोदन के सन्दर्भ में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके पत्र क्रमांक: 2413 दिनांक: 29.07.2019 के सन्दर्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय की हैण्ड बुक पार्ट-II वोल्यूम-I स्टेड्यूट 26(5) बी के द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति महोदय के आदेश दिनांक: 17.09.2019 की अनुपालना में अध्यादेश 65 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तो पूर्ण करते है लेकिन निम्नलिखित कमियाँ होने के कारण व्याख्याताओं का अनुमोदन किया जाना संभव नहीं है।

1. व्याख्याताओं द्वारा किये गये आवेदन की छायाप्रति।
2. रक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु जारी किया गया आमंत्रण पत्र की छायाप्रति संलग्न नहीं है।
3. नियुक्ति पत्र नहीं है।
4. कार्यग्रहण रिपोर्ट नहीं है।
5. अध्यादेश 68 के अनुसार वेतन समझौता शपथ पत्र संलग्न नहीं है।
6. बी.ओ.आई की बैठक दिनांक 13.05.2009 के निर्णयानुसार एक सदस्य की नियुक्ति हेतु तीन सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है जो पूर्ण नहीं है।

ED

(हरफूल सिंह यादव)
कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/2019/ 29667-70

दिनांक : 10/10/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, इन्फोर्मेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपरोक्त पत्र प्राचार्य/स्टाफ के लिंक पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Raj [Signature]

(राजकुमार जैन) 04/X/19

उप कुलसचिव
(शैक्षणिक द्वितीय)